

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 24/8/26

विषय:- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 1,62,86,438/- (एक करोड़ बासठ लाख छियासी हजार चार सौ अड़तीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 1,62,86,438/- (एक करोड़ बासठ लाख छियासी हजार चार सौ अड़तीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	अध्याचना आई0 डी0	कार्य/योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, जमुई	32098	जमुई जिलान्तर्गत 100 शैय्या वाले अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के निर्माण कार्य	710 / 15.03.2024	₹ 1,41,43,848 / - (एक करोड़ इकतालीस लाख तेतालीस हजार आठ सौ अड़तालीस रुपये)
2.	भवन प्रमंडल, किशन गंज	32754	Construction of Alternate approach road for 100 beded Girls Hostel at Halim Chowk under district kishanganj for the year 2025-26	328 / 27.09.2024	7,72,635 / - (सात लाख बहतर हजार छः सौ पैंतीस रुपये)
3.	भवन प्रमंडल, समस्ती पुर	32560	समस्तीपुर जिलान्तर्गत मॉडल इंटर विद्यालय के परिसर में 100 शैय्या वाले अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निर्माण कार्य	229 / 29.10.2021	13,69,955 / - (तेरह लाख उनहत्तर हजार नौ सौ पचपन रुपये)
कुल योग					₹ 1,62,86,438 / -

(एक करोड़ बासठ लाख छियासी हजार चार सौ अड़तीस रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय शीर्ष मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्यशीर्ष-4225-अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्गों और अल्पसंख्यको के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0103-अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) के विपत्र कोड-03-4225800510103 के विषय शीर्ष-53-मुख्य कार्य-0103.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमंडल होंगे।
- इस राशि के निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।



5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 7962 (1)

पटना, दिनांक- 24/8/16

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 7962 (1)

पटना, दिनांक- 24/8/16

प्रतिलिपि- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, संबंधित भवन अंचल/कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमंडल/सी.एफ.एम.एस.एप्रुवर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एवं आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को **विभागीय वेबसाइट** पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

Bpin